न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–298 / 2017 / 223 (2017 / 00298)

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र चतरसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बाडिया श्यामा, तह0 तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती रामप्यारी पुत्री चतरसिंह, पत्नि प्रहलाद उर्फ कैलाशसिंह, जाति रावत, निवासी नून्द्री महेन्द्रातान, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
3. श्रीमती पानी बेवा चतरसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बाडिया श्यामा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस / प्रतिवादी संख्या 3 से 5

बनाम

1. श्रीमती सुशीला पुत्री स्व0 नाथूसिंह पत्नि किशनसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बाडिया श्यामा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर हाल मुकाम सहदेव नगर, सेंदड़ा रोड़, ब्यावर जिला अजमेर ।

प्रत्यर्थी / वादिया

2. श्रीमती बदामी देवी पुत्री स्व0 नाथूसिंह पत्नि धन्नासिंह, जाति रावत, नि0 ग्राम कोटड़ा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर हाल निवासी 15, कैलाशपुरी सोसायटी, गायत्री सोसायटी के पास, नरोड़ा रोड़, अहमदाबाद, गुजरात।
3. भगतसिंह पुत्र बालूसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम कोटड़ा, तह0 ब्यावर जिला अजमेर हाल मुकाम 15, कैलाशपुरी सोसायटी, गायत्री सोसायटी, के पास, नरोड़ा रोड़, अहमदाबाद, गुजरात ।

प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादी संख्या 1 व 2 (नाथूसिंह के वारिसान)

4. लक्ष्मणसिंह पुत्र धन्ना, जाति रावत, निवासी ग्राम बाडिया श्यामा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर । (मृतक) जरिये वारिसानः–
   4 / 1– श्रीमती शांति पत्नी लक्ष्मणसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बाडिया श्यामा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
   4 / 2– श्रीमती अनिता पत्नी बलवीरसिंह, जाति रावत, निवासी दुर्गावास, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
   4 / 3– श्रीमती सुनिता पत्नि उगमसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम सोवनिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
   4 / 4– श्रीमती सीमा पत्नि दिनेशसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम ठीकराना मेन्द्रातान, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
   4 / 5– महेन्द्रसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बाडिया, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
   4 / 6– कु0 पिंकी पुत्री लक्ष्मणसिंह नाबालिग, जाति रावत, निवासी ग्राम बाडिया श्यामा, तह0 ब्यावर, जरिये सरंक्षक अपनी माता ।
   4 / 7– कु0 सोनू पुत्री लक्ष्मणसिंह, जाति रावत, नाबालिग निवासी ग्राम बाडिया श्यामा, तह0 ब्यावर, जरिये सरंक्षक अपनी माता ।
5. बलवंतसिंह पुत्र धन्ना, जाति रावत, निवासी ग्राम बाडिया श्यामा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
6. श्रीमती गीता बेवा धन्ना, जाति रावत, निवासी ग्राम बाडिया श्यामा, तह0

ब्यावर, जिला अजमेर ।

7. श्रीमती यशोदा पुत्री धन्ना, पत्नि रोशनसिंह, जाति रावत, नि0 चिड़ियाबढ़, पोस्ट जवाजा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादी सं0 6/1 लगायत 6/7 व 7

8. श्रीमती माया पुत्री गणपतसिंह, पत्नि शैतानसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम भोजपुरा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

9. श्रीमती सीता पुत्री गणपतसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बाडिया श्यामा तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

10. श्रीमती सीता देवी पुत्री लाखासिंह पत्नि हजारीसिंह, जाति रावत, निवासी दुर्गावास, तह0 ब्यावर जिला अजमेर (मृतक) जरिये वारिसानः—
10/1— हजारीसिंह पुत्र नामालुम, जाति रावत, निवासी दुर्गावास, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
10/2— महेन्द्रसिंह पुत्र हजारी, जाति रावत, निवासी दुर्गावास, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
10/3— विक्रमसिंह पुत्र हजारीसिंह, जाति रावत, निवासी दुर्गावास, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
10/4— श्रीमती सुशिला उर्फ लक्ष्मी पुत्री हजारीसिंह पत्नि गणपतसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम किशनपुरा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
10/5— जगदीशसिंह पुत्र हजारीसिंह, जाति रावत, निवासी बाडियाश्यामा तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
10/6— श्रीमती इन्द्रा पुत्री हजारीसिंह पत्नि फतेहसिंह, जाति रावत, नि0 ग्राम केसरपुरा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादी सं0 10, 11, 12, 12/1 से 12/6

11. श्रीमती बदामी बेवा प्रतापसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बाडिया श्यामा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

12. भगवानसिंह पुत्र प्रतापसिंह, जाति रावत, निवासी ग्रम बाडिया श्यामा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

13. खुशालसिंह पुत्र प्रतापसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बाडिया श्यामा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

14. श्रीमती निरमा पुत्री प्रतापसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम शेखावास, तह0 भीम, जिला राजसमंद ।

15. श्रीमती सुखी पुत्री गुलाबसिंह पत्नि खीमसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम शेखावास, तह0 भीम जिला राजसमन्द ।

16. श्रीमती गंगा पुत्री गुलाबसिंह पत्नि लक्ष्मणसिंह, जाति रावत, निवासी सहदेव नगर, सेंदड़ा रोड ब्यावर, जिला अजमेर ।

प्रत्यर्थीगण/प्रति0 संख्या 13 से 18

17. प्रभूसिंह पुत्र बालूसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बाडिया श्यामा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

18. मदनसिंह पुत्र बालूसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बाडिया श्यामा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

19. श्रीमती डाली पुत्री बालूसिंह पत्नि लाडूसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम दुर्गावास, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

20. श्रीमती पानी पुत्री बालूसिंह पत्नि किशनसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम गोपालगढ़ (टाटडो का बाडिया), तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादी संख्या 19 से 22

21. श्री किशन सिंह पुत्र सवाईसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बाडिया श्यामा तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी संख्या 23

22. अजयसिंह पुत्र गोपालसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बाडिया श्यामा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
23. सुखवीरसिंह पुत्र गोपालसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बाडिया श्यामा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
24. विनोदसिंह पुत्र गोपालसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बाडिया श्यामा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
25. श्रीमती अनितादेवी पत्नि गोपालसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बाडिया श्यामा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
26. श्रीमती गौरी बेवा सवाईसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बाडिया श्यामा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
27. लालसिंह पुत्र हजारीसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम कोटड़ा के पास, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
28. भगवानसिंह पुत्र हजारीसिंह, जाति रावत, निवासी कोटड़ा के पास, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
29. श्रीमती डाली पुत्री हजारीसिंह पत्नि रतनसिंह, जाति रावत, निवासी निमडी, तहसील रायपुर, जिला पाली ।

प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादी संख्या 24 से 32

30. छगना पुत्र गणपतनाथ, जाति नाथ, नि0 राधेकृष्ण कॉलोनी, फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
31. अर्जुनलाल पुत्र भीखाराम, जाति रेगर, निवासी जय कॉलोनी, फतेहपुरिया, दोयम, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादी संख्या 33, 34

32. तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।
33. जिला कलक्टर, अजमेर ।
34. उप पंजीयक, ब्यावर, जिला अजमेर ।

प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादी संख्या 35 से 37

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 5.6.2017 अंतर्गत वाद संख्या 46 / 2016.</u>

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांटस ।
2. श्री तुलवीरसिंह चौहान, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील रेस्पो0 सं0 10 / 5 व 16 ।
4. रेस्पो0 संख्या 2 से 10 / 4, 10 / 6, 19 से 15, 17 से 31 अनुपस्थित।
5. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 32 से 34

निर्णय

दिनांकः– 17.11.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 5.6.2017के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि मौजा ग्राम बाडिया, जग्गा पटवार क्षैत्र जालिया प्रथम, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र फतेहपुरिया दोयम, तहसील ब्यावर वर्णित काश्त भूमियां खाता संख्या नया 82 पुराना 73 के खसरा संख्या 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 270/1, 271, 272/759 कुल रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा 1 बिस्वांसी अवस्थित है जो कि पक्षकारान की पुश्तैनी आराजियात है जिसमें वादिया का 1/30 हिस्सा है तथा विवादित भूमियां अविभाजित है । अपने हिस्सो में से प्रतिवादी संख्या 10, 3, 5 व 19 ने प्रतिवादी संख्या 33 व 34 को बेचान कर दिया है जबकि वादिया अपने हिस्से की भूमि को उपयोगी व उन्नत बनाना चाहती है जिस संदर्भ में प्रतिवादी संख्या 1 से 34 से मांग की जिस पर वह सहमत नहीं हुए । तद्पोरांत प्रतिवादी संख्या ने वादिया को यह धमकी दी कि मौका देखकर वादिया को उसके वैध कब्जे, उपयोग से बेदखल कर देगी एवं आगामी मौसम में काश्त नहीं करने देगी साथ ही प्रतिवादीगण ने अविभाजित भूमि के विशेष हिस्से को अन्य को बेचान करने की भी धमकी दी है । अतः वाद में वर्णितानुसार वाद डिक्री किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 5.6.2017 को वादिया का वाद डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है । दिनांक 5.6.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट जालिया प्रथम में प्रतिवादी संख्या 3 से 5 एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित ही नहीं हुए थे ना ही उनकी कोई सहमति ली गई थी तथा ना ही कोई बहस सुनी गई बल्कि केवल मात्र वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 की कथित रूपी उपस्थिति दर्ज करते हुए समस्त पक्षकारान के विरूद्ध आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने स्वंय अपनी आदेशिका दिनांक 25.5.2017 की क्रियान्विति व पालना नहीं की है क्योंकि दिनांक 25.5.2017 के पश्चात् मिसल कैम्प जालिया प्रथम में पक्षकारान की उपस्थिति के सम्मन बाबत् किसी प्रकार के नोटिस जारी होने का उल्लेख नहीं है तथा ना ही कथित आदेशिका दिनांक 5.6.2017 में अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज नही बताई गई है जिससे स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री अपीलांटस एवं अन्य प्रतिवादीगण की उपस्थिति में पारित नहीं किया है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस के वकील के अनुपस्थित रहने के बावजूद उपस्थिति दर्ज कर निर्णय व डिक्री पारित की है । प्रकरण में शेष प्रतिवादीगण की विधिसम्मत् तामील के अभाव में भी निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2003 (1) पेज 18, आर0आर0डी0 1992 पेज 117, आर0आर0डी0 1992 पेज 239, आर0आर0टी0 2016 पार्ट–1 पेज 277,

आर0आर0टी0 2016 पार्ट–2 पेज 1147 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.10.2017 को तब हुई जब तहसीलदार व अन्य अधिकारीगण वादग्रस्त आराजियात पर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पालनार्थ बाबत् मौके पर आये । तत्पश्चात् प्रार्थी ने अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु दिनांक 13.10.2017 को आवेदन पेश किया जिस पर उसी दिन नकलें प्राप्त की । उक्त प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने के तुरन्त बाद ही अपीलांट के पति प्रहलाद उर्फ कैलाशसिंह की हृदय संबंधी रोग होने से अपीलांटस ईलाज में व्यस्त हो गये तथा अस्पताल में भर्ती भी रहे । तत्पश्चात् स्वस्थ्य होने पर अधिवक्ता से कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस ने वकालतनामा पेश किया है किन्तु वादपत्र का जवाब पेश नहीं किया । विवादित आराजियात अविभाजित आराजियात है जिसमें वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 का 1/30 हिस्सा है । विवातिद आराजियात अविभाजित होने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 10 माया ने खसरा नंबर 267 व 268 में स्वंय के अविभाजित हिस्से में से 7/132 वां हिस्सा प्रतिवादी संख्या 33 को बेचान किया है । इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 3, 5, 10 ने भी खसरा नंबर 267 व 268 में स्वंय के अविभाजित हिस्से में से 32/2376 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 34 अर्जुनलाल को विक्रय किया है । अविभाजित आराजियात में विशेष भू–भाग का बेचान नहीं किया जा सकता है। अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित की तथा विधिवत् विभाजन तक अपीलांटस एवं अन्य प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के समर्थन में चिकित्सकीय दस्तावेज पेश किये है । उपरोक्त दस्तावेजी के परिपेक्ष्य में अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाता है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधी0न्याया0 ने पत्रावली दिनांक 5.6.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट जालिया प्रथम में निर्णित की है। अधी0न्याया0 ने दिनांक 25.7.2017 को पत्रावली को कैम्प कोर्ट में रखने के आदेश पारित कर पक्षकारान को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये है किन्तु उक्त आदेशों की पालना में पक्षकारान को नोटिस जारी किये जाने के संबंध में पत्रावली पर नोटिस की प्रति उपलब्ध नहीं है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि अपीलांटस को प्रकरण कैम्प कोर्ट मे रखे जाने की जानकारी रही हो । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिका दिनांक 3.10.2016 के अनुसार " वकील वादीगण उप0। प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 5 की ओर से श्री शफी मोहम्मद एड0 ने पावर पेश किया । प्रतिवादी संख्या 3, 12/2, 20 के सम्मन पत्नि को, प्रतिवादी संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

6/4 का प्रति को, प्रतिवादी संख 6/1, 6/2, 6/3, 29, 33 व 34 के सम्मन उन्हें स्वंय को तामील । उक्त तामीले मान्य है । इन्हें बार-बार आवाजें दिलाई गई लेकिन कोई हाजिर नहीं आया । अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है । प्रतिवादी संख्या 4 व 9 के सम्मन पर उपस्थित मिले पढ़कर लेने से इंकारी की रिपोर्ट आई है । प्रतिवादी संख्या 5, 8, 19, 29 के सम्मन पर बहू के लेने की, प्रतिवादी संख्या 6/5, 6/6, 6/7, 23 से 26 के सम्मन पर मां, प्रतिवादी संख्या 12/3, 12/5, 12/6 व 7 के सम्मन पर भाभी, प्रतिवादी संख्या 10, 14 के सम्मन पर चाची, प्रतिवाउदी संख्या 11, 13, 15, 27 के सम्मन देवरानी, प्रतिवादी संख्या 12/1 व 18 के सम्मन पुत्रवधु को, प्रतिवादी संख्या 12/4 के सम्मन भतीजा को, प्रतिवादी संख्या 21 का सम्मन पुत्र को व प्रतिवादी संख्या 30, 31 के सम्मन भाई को तामील की रिपोर्ट आई है जो मान्य नहीं है । पुनः तीन दिवस में तलवाना सम्मन पेश करे । मिसल बाद अदउायगी तलवाना सम्मन जारी होकर दिनांक 15.11.2016 को पेश हो । " उक्त आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रतिवादीगणों की तामील वाद में शेष थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने तामील कराये बिना वाद में डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । इसी प्रकार अधी0न्याया0 की आदेशिका के अनुसार दिनांक 8.2.2017 को वादिया ने प्रार्थना पत्र वास्ते वकील बदलने हेतु पेश किया जिस पर वकील वादिया श्री दिलीपसिंह गौरा ने आपत्ति जाहिर की। जिस पर अधी0न्याया0 ने पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तारण एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 15.3.2017 को नियत की किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिससे भी अधी0न्याया0 के निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 5.6.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है समस्त प्रतिवादीगण की तामील उपरांत उभयपक्ष को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 17.11.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर